

# ग्रामीण सरकार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की भूमिका का अलवर जिले के विशेष सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन



## पुष्पा बुटोलिया

व्याख्याता,  
राजनीति विज्ञान विभाग,  
पं.न.कि.श. राजकीय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय,  
दौसा, राजस्थान

## धर्मपाल सिंह

व्याख्याता,  
राजनीति विज्ञान विभाग,  
पं.न.कि.श. राजकीय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय,  
दौसा, राजस्थान

### सारांश

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण जिसे भारत में पंचायती राज के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य लाखों लोगों को प्रतिनिधि सरकार के निम्नतर स्तर पर भागीदार बनाकर वास्तविक प्रजातन्त्र से साक्षात्कार करना है। यह आधारभूत प्रजातन्त्र की ऐसी व्यवस्था है जिसमें इस विशाल देश के दूर-दूर के गाँवों में स्थापित प्रशासन की इकाई का क्षेत्रीय व केन्द्रीय स्तरों पर स्थापित उच्चतर शासन से सम्पर्क कराने का प्रयास किया जाता है। प्रस्तुत लेख में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के द्वारा पंचायत राज कार्यकाल 2005-2010 की अवधि में राजस्थान के अलवर जिले की विभिन्न पंचायतों में किये गये योगदान का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

**मुख्य शब्द:** विकेन्द्रीकरण, पंचायती राज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति।  
**प्रस्तावना**

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध शासन के निम्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन से है। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का सीधा सम्बन्ध लोकतान्त्रिक मूल्यों, जनभावनाओं से है, इसलिए इसे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण भी कह सकते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का व्यावहारिक स्वरूप है।<sup>1</sup> लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के पर्याय के रूप में सन 1959 में देश में पंचायती राज संस्थाएँ स्थापित की गई थी किन्तु इन संस्थाओं का संवैधानिक आधार न था। नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद-40 में वर्णन था कि राज्य पंचायतों की स्थापना तथा उनके विकास का प्रयास करेगा। तीन दशक तक पंचायती राज न्यूनाधिक मात्रा में सभी प्रान्तों में निष्क्रिय सा बना रहा। सन 1992 में पारित तथा 1993 से परिवर्धित संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों की संरचना, कार्यक्षेत्र, चुनाव, आरक्षण तथा विषय सूची का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया।<sup>2</sup>

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतान्त्रिक ढाँचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार<sup>3</sup> गामसभा एक ऐसा निकाय होगा जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे। गामसभा राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों को सम्पन्न करेगी।<sup>4</sup> प्रत्येक राज्य के ग्राम, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा परन्तु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जायेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनाधिक है।<sup>5</sup> प्रत्येक पंचायत सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से किया जायेगा जिसमें सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जायेगा जितने सदस्य उस क्षेत्र से निर्वाचित किये जायेंगे। पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में होगा।<sup>6</sup>

ग्राम स्तरीय पंचायतों के प्रमुख का निर्वाचन राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुमादित विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा मध्यवर्ती या जिला स्तरीय पंचायतों के प्रमुखों का निर्वाचन इन पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जायेगा।<sup>7</sup> प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होंगे। यह स्थान पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किये जायेंगे। यह स्थान एक पंचायत में चक्रानुक्रम से विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में आरक्षित किये जायेंगे।<sup>8</sup> अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों में कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति व

अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित महिलाओं के लिए आरक्षित रखे होंगे।<sup>9</sup> प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से न्यूनतम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे (जिनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित हैं) ये स्थान चक्रानुक्रम से एक पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित किये जायेंगे।<sup>10</sup> सभी स्तरों की पंचायतों के प्रमुखों के पद राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे जो कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अनुच्छेद 334 के साथ ही समाप्त हो जायेगा किन्तु महिलाओं के लिए आरक्षण बना रहेगा।<sup>11</sup>

संविधान के अनुच्छेद 243 डी में संशोधन कर दिनांक 21 जुलाई 2011 को केन्द्रीय कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी एक-तिहाई से बढ़ाकर 50 फीसदी करने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सभी सीटों, अध्यक्षों के पदों और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों पर लागू होगा। यह प्रस्ताव 110वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 26 नवम्बर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था।<sup>12</sup>

#### अलवर जिला परिचय

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई वर्षों तक यह क्षेत्र ULWAR लिखा जाता था जो बाद में ALWAR (अलवर) हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार अरावली पर्वत के नाम पर यह अवर्लपर कहलाता था क्योंकि यह नगर अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। 18 मार्च, 1948 को अलवर राज्य तीन पड़ोसी राज्यों भरतपुर, धोलपुर एवं करौली के सम्मिश्रण द्वारा मत्स्य संघ बना यह संघ भारत संघ में मिला लिया गया। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ अन्य रियासती राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्य अजमेर को मिलाकर राजस्थान बनाया गया। शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था।<sup>13</sup> अलवर जिला 8380 वर्ग किमी. क्षेत्रफल के साथ राजस्थान में 16वां स्थान रखता है जिले में 12 उपखण्ड एवं 12 तहसीलें हैं।<sup>14</sup>

अलवर जिला 27° 3' से 28° 30' तक तथा 23° 3' से 30° 12' तक उत्तरी अक्षांशों और 76° 7' से 77° 17' तक एवं 69° 30' से 78° 17' तक पूर्वी देशान्तरों के बीच स्थित है।<sup>15</sup> उत्तर से दक्षिण में इसकी अधिकतम दूरी 137 किमी. है और पूर्व से पश्चिम में 110 किमी. है। इसकी उत्तर एवं उत्तरपूर्वी सीमा पर हरियाणा का गुडगाँव एवं राजस्थान का भरतपुर, उत्तर पश्चिम में हरियाणा का महेन्द्रगढ़, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का जयपुर तथा दक्षिण में सवाई माधोपुर और दौसा जिले स्थित हैं।<sup>16</sup>

अलवर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय अलवर में है यह लगभग 160 किलोमीटर दिल्ली के दक्षिण में और लगभग 150 किलोमीटर जयपुर की उत्तरी दिशा में स्थित है। इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल कर लिया गया है।<sup>17</sup> जनगणना 2001 के अनुसार अलवर जनसंख्या आकार के आधार पर दूसरे स्थान पर है। राज्य

की कुल जनसंख्या का 5.35 प्रतिशत जिले की जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जिला चौथे स्थान पर है। 1991 तथा 2001 में जनसंख्या घनत्व क्रमशः 274 तथा 357 था।<sup>18</sup> प्रशासकीय दृष्टि से जिले में 12 उपखण्ड, 12 तहसील, 14 विकास खण्ड, 1954 आबाद ग्राम, 40 गैर आबाद ग्राम, 9 कस्बे और 06 नगरपालिका हैं। अलवर, खेडली, खैरथल, राजगढ़, बहरोड और तिजारा में स्थानीय प्रशासन हेतु नगरपालिका है।<sup>19</sup>

#### प्रविधि

जिले में 14 पंचायत समितियाँ और 478 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक पंचायत समिति से अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति के प्रतिनिधियों से सम्बन्धित 10-10 गाँवों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया व प्रत्येक पंचायत समिति से 4-4 सदस्यों का चयन किया गया। सर्वेक्षण में जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा पंच आदि सभी प्रकार के सदस्यों को स्थान दिया गया जिनमें पुरुष सदस्यों व महिला सदस्यों दोनों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में जिला परिषद स्तर पर कुल 4 सदस्यों जिनमें 2 अनु. जाति व 2 अनु. जनजाति सदस्यों को, पंचायत समिति स्तर पर कुल 43 सदस्यों जिनमें 27 अनु. जाति व 16 अनु. जनजाति के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 97 सदस्यों में से 68 अनु. जाति और 29 अनु. जनजाति के तथा पंच स्तर पर कुल 24 प्रतिनिधियों के ही सर्वेक्षण के लिए तथ्य प्राप्त हुए, चूंकि अलवर जिले में अनु. जनजाति का बाहुल्य नहीं होने से इस वर्ग के जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होने के कारण इनके तथ्य कम प्राप्त हो पाये। जो उत्तरदाता शिक्षित थे उनमें प्रश्नावलियों भरवाकर और जो उत्तरदाता अशिक्षित एवं निरक्षर थे उनसे साक्षात्कार प्रविधि से तथ्य हस्तगत किये गये।

#### सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि

##### (i) आयु एवं शिक्षा

जनप्रतिनिधि	अनुसूचित जाति प्रतिशत	अनु. जनजाति प्रतिशत	कुल प्रतिशत
<b>आयु समूह</b>			
30 वर्ष से कम	14.16	18.18	15.48
31 से 50 वर्ष	63.72	49.09	58.93
51 वर्ष से अधिक	22.12	32.73	25.59
<b>शैक्षणिक स्तर</b>			
साक्षर	18.58	29.09	22.02
प्राथमिक	11.50	11.36	13.09
उच्च प्राथमिक	30.09	27.27	29.17
माध्यमिक	16.81	03.64	12.50
उच्च माध्यमिक	13.27	20.00	15.48
स्नातक/	09.74	03.64	07.74
स्नातकोत्तर			

सारणी से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 58.93 प्रतिशत उत्तरदाता 31 से 50 आयुवर्ग से सम्बन्धित है जिसमें 63.72 प्रतिशत अनुसूचित जाति के एवं 49.09 प्रतिशत अनु. जनजाति के हैं। 51 वर्ष से अधिक 22.12 जनप्रतिनिधि अनु. जाति से सम्बन्धित एवं 32.73 अनु. जनजाति के उत्तरदाता थे जबकि सबसे कम प्रतिशत नवयुवकों का पाया गया। यह प्रतिशत अनु. जाति में सिर्फ 14.16 था वहीं अनु. जनजाति 18.18 पाया गया।

नवयुवकों की संख्या कम पायी गई तो इन जनप्रतिनिधियों का शैक्षणिक स्तर भी निम्न पाया गया इनमें स्नातक और स्नातकोत्तर का प्रतिशत अनु. जाति में 9.74 प्रतिशत रहा वहीं अनु. जनजाति में मात्र 3.64 प्रतिशत ही पाया गया। इनमें से कुल 22.02 प्रतिशत उत्तरदाता सिर्फ साक्षर थे एवं इन दोनों वर्गों में शिक्षा के मामले में अनु. जनजाति की स्थिति अनु. जाति के मुकाबले ज्यादा खराब है क्योंकि अनु. जनजाति के 29.09 उत्तरदाता सिर्फ साक्षर हैं वहीं स्नातक या स्नातकोत्तर सिर्फ 3.64 प्रतिशत ही हैं।

माध्यमिक स्तर तक अध्ययन किये हुए जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत अनु. जाति में 16.81 है वहीं अनु. जनजाति में 3.64 ही हैं। तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर निम्न है अर्थात् या तो वे साक्षर हैं या उच्च प्राथमिक तक ही शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं (कुल 64.28 प्रतिशत) अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति के प्रतिनिधियों के शैक्षणिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह अनुभव किया गया कि अनु. जनजाति का शैक्षणिक स्तर अनु. जाति के प्रतिनिधियों की तुलना में निम्न है। अनु. जाति के अधिकांश प्रतिनिधि (कुल 72.72 प्रतिशत) उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त है।

आयुवर्ग के आधार पर देखा जाए तो तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि पंचायत राज संस्थाओं में युवावर्ग के जनप्रतिनिधियों की संख्या बहत ही कम है। 84.52 प्रतिशत उत्तरदाता परिपक्व आयु को प्राप्त कर चुके हैं अतः ये उत्तरदाता वैचारिक रूप से परिपक्व होते हैं परन्तु समाज के राजनीति विकास और राजनीतिक जागरूकता के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को अपने कतव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान हाता है, अतः ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए भी शिक्षा अनिवार्य घटक है जिससे वो प्रशासनिक बारीकियों को समझ सकें और ग्रामीण विकास में आ रही बाधाओं को दूर कर सकें। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकार शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने का प्रयास करे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण उन्नत हो सके।

## (ii) आर्थिक स्थिति

जनप्रतिनिधि	अनुसूचित जाति प्रतिशत	अनु. जनजाति प्रतिशत	कुल प्रतिशत
आय के स्रोत (जीविका पालन हेतु)			
कृषि	27.43	83.63	45.83
निजी सेवा	06.20	03.64	05.36
व्यवसाय	49.56	09.09	36.31
मजदूरी	16.81	03.64	12.50
वित्त के स्रोत (चुनाव खर्च के लिए)			
स्वयं के संसाधनों से	55.75	27.27	46.43
दानदाताओं द्वारा	07.08	03.64	05.95
राजनीतिक दलों	05.31	09.09	06.55
कोई आवश्यकता नहीं हुई	30.09	60.00	39.88
अन्य	01.77	—	01.19

प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के 27.43 प्रतिशत और अनु. जनजाति के 83.63 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार को आय का मुख्य स्रोत कृषि कार्य है वहीं निजी व्यवसाय में अनुसूचित जाति व जनजाति के क्रमशः 49.56 प्रतिशत और 9.09 प्रतिशत उत्तरदाता सलग्न हैं। कुल 12.50 उत्तरदाता जिनमें अनु. जाति के 16.81 व अनु. जनजाति के 3.64 प्रतिशत उत्तरदाता के आय का स्रोत मजदूरी है। तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय का मुख्य साधन अभी भी कृषि ही है। कृषि आय का ऐसा साधन है जो कि एक अस्थिर साधन माना जाता है, क्योंकि वह विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है जैसे वर्षा, पर्यावरण, भूमि की प्रकृति आदि इन्हीं कारणों से कृषि उत्पादन कभी अच्छा तो कभी कमजोर रहता है। यहाँ यह बात भी गौरतलब है कि अनु. जनजाति के उत्तरदाताओं के पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति अनु. जाति के उत्तरदाताओं के मुकाबले अच्छी है अनु. जाति के उत्तरदाता व्यवसाय एवं खेतों में मजदूरी करके ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अनौपचारिक बातचीत से यह तथ्य सामने आया कि कुछ उत्तरदाताओं की आय का मुख्य साधन परम्परागत व्यापार है, जैसे भेड़ ऊन उत्पादन, चमड़ा व्यवसाय, मिट्टी के खिलौने व बर्तन बनाना, जूट उद्योग, पंखी झाड़ उत्पादन आदि लेकिन आधुनिक युग में इन परम्परागत व्यापारों से धन अर्जन करना जटिल कार्य है। अतः सभी तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि परिवार (खासकर अनु. जाति) की आर्थिक स्थिति सामान्यतः कमजोर रहती है।

इस दृष्टि से यहाँ यह सुझाव विचारणीय होना चाहिए कि पंचायत राज संस्थाओं के इन वर्गों के प्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जाये। उत्तरदाताओं के आय के स्रोतों की जानकारी के पश्चात ये भी जानने का प्रयास किया गया कि उनके चुनाव खर्च में वित्त के स्रोत क्या रहे। चूँकि अधिकांश उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और आधुनिक राजनीति में यह धारणा विकसित हो गई है कि चुनाव जीतने में वित्त या धन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पंचायत राज संस्थाओं में चुनावों में चन्दे व राजनीतिक दलों से वित्त की व्यवस्था करने की परम्परा नहीं रही है। अधिकांश प्रतिनिधि स्वयं के संसाधनों से वित्त की व्यवस्था करते हैं या उन्हें चुनाव में धन खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं होती है।

(III) सामाजिक स्थिति

जनप्रतिनिधि	अनुसूचित जाति प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत	कुल प्रतिशत
<b>कार्यों के प्रति अन्य सामाजिक वर्गों का दृष्टिकोण</b>			
सहयोगात्मक	48.17	83.64	60.12
आंशिक सहयोगात्मक	48.67	09.09	35.71
असहयोगात्मक	01.77	01.82	01.79
कह नहीं सकते	00.89	05.45	02.38
<b>कार्यों के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण</b>			
सहयोगात्मक	92.92	96.36	94.05
आंशिक सहयोगात्मक	01.77	—	01.19
हस्तक्षेप के रूप में	05.31	03.64	04.76
असहयोगात्मक	—	—	—

किसी भी सार्वजनिक कार्य को निष्पादित करने के लिए सभी वर्गों का सहयोगात्मक सामूहिक प्रयास अपेक्षित होता है। चूंकि आरक्षित वर्ग समाज में सामाजिक व आर्थिक रूप में पिछड़ हुए हैं जिससे उनकी सामाजिक स्थिति निम्न मानी जाती है। ऐसी स्थिति में अन्य उच्चतर सामाजिक वर्गों का सहयोग जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक कार्यों के निष्पादन में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पायेंगे। इस स्थिति को जानने के लिए पूछे गये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 60.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अन्य सामाजिक वर्गों का दृष्टिकोण सहयोगात्मक रहता है एवं 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सहयोगात्मक होना बताया है लगभग 2 प्रतिशत ने असहयोगात्मक व 2.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। अनौपचारिक वार्तालाप व सारणी का गहन अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि जिन उत्तरदाताओं ने सहयोगात्मक दृष्टिकोण का मत दिया था उनका तात्पर्य भी आंशिक सहयोगात्मक ही था। वास्तविकता तो यह है कि परम्परावादी विचारधारा व परम्परागत सामाजिक व्यवस्था के चलते समाज के अन्य वर्गों द्वारा इन आरक्षित वर्गों के कार्यों व विचारों को महत्व नहीं दिया जाता और इनको अन्य सामाजिक वर्गों का पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता।

कार्यों के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण 94.05 उत्तरदाताओं ने सहयोगात्मक बताया जबकि 4.76 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण उनके कार्य में हस्तक्षेप के रूप में स्वीकारते हैं। अवलोकन से यह भी अनुभव किया गया कि इनमें से अधिकांश सकारात्मक उत्तरदाता पुरुष ही हैं जो परिवार के मुखिया भी हैं इसलिए उनके निर्णय का परिवार के अन्य सदस्य सम्मान करते हैं। इसी आधार पर उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं जिन उत्तरदाताओं ने आंशिक सहयोग एवं हस्तक्षेप युक्त दृष्टिकोण बतायें। वे सभी महिला वर्ग से सम्बन्धित हैं।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कहीं-कहीं महिलाओं के कार्यों में परिवार के पुरुष सदस्यों का पूर्ण हस्तक्षेप रहता है तथा अभी भी परिवार के पुरुष सदस्य अपनी परम्परागत मानसिकता के अधीन महिलाओं को जनप्रतिनिधियों के रूप में भूमिका निभाने में अपेक्षित स्तर तक सहयोग नहीं करते हैं।

(IV) राजनीतिक पृष्ठभूमि

जनप्रतिनिधि	अनुसूचित जाति प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत	कुल प्रतिशत
<b>राजनीति में प्रवेश के प्रेरक तत्व</b>			
परिवार के सदस्यों की प्रेरणा से	20.35	16.36	19.05
आरक्षण व्यवस्था से प्रेरित	55.75	60.00	57.14
स्वतः प्रेरित	16.82	18.18	17.26
अन्य	07.08	05.46	06.55
<b>राजनीतिक दल से सम्बन्धता</b>			
हाँ	72.57	72.73	72.62
नहीं	27.43	27.27	27.38
<b>राजनीतिक दल के चयन का आधार</b>			
स्वयं के विचारों के परिणामस्वरूप	17.70	12.73	16.07
पारिवारिक वातावरण	45.13	49.09	46.43
सामाजिक दबाव	07.96	07.27	07.74
आर्थिक लाभ	—	—	—
अन्य	01.77	03.64	02.38
अप्रयोज्य	27.44	27.27	27.38

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बहुमत के आधार पर सरकार का निर्माण करते हैं और शासन संचालन का कार्य करते हैं। इस प्रकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सरकार बनाना व शासन का संचालन करना, राजनीतिक प्रक्रिया कहलाती है। इसी प्रक्रिया में प्रवेश के प्रेरक तत्वों से सम्बन्धित तथ्यों से परिलक्षित है कि कुल उत्तरदाताओं में से 17.26 प्रतिशत प्रतिनिधि स्वतः प्रेरित होकर राजनीति में आए हैं, यहाँ अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 16.82 प्रतिशत व अनु. जनजाति का 18.18 प्रतिशत है। 19.05 प्रतिशत परिवार के सदस्यों की प्रेरणा से जिनमें 20.35 प्रतिशत अनु. जाति व 16.36 प्रतिशत अनु. जनजाति के हैं। कुल उत्तरदाताओं में से 6.55 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य कारणों से राजनीति में प्रवेश कर पाये हैं जबकि 57.14 प्रतिशत ने आरक्षण व्यवस्था से प्रेरित होकर राजनीति में प्रवेश करने का कारण बताया है जिसमें अनुजाति व अनु. जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 55.75 एवं 60.00 है।

निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश उत्तरदाता राजनीति में स्वतः प्रेरित नहीं हुए हैं, अपितु उन्होंने विभिन्न प्रेरक कारकों से प्रेरित होकर राजनीति में प्रवेश लिया है, इसमें से मुख्य कारण आरक्षण व्यवस्था मानी गई है। परिवार के सदस्यों एवं अन्य प्रेरणा भी आरक्षण की दृष्टि से ही दी गई। अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि स्वतः प्रेरणा से राजनीति में प्रवेश न पाने के कारण उनकी विचारधारा राजनीति क्षेत्र में परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर सकी जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी राजनीतिक स्थिति पर पड़ता है।

72.62 प्रतिशत उत्तरदाता किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित है। राजनीतिक दलों से सम्बन्धता जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक परिपक्वता के साथ ही भागीदारी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

राजनीतिक दलों के चयन के आधार के रूप में उत्तरदाताओं ने पारिवारिक वातावरण को स्वीकारा है जिनका प्रतिशत 46.63 है। सामाजिक दबाव के परिणामस्वरूप कुल 7.74 उत्तरदाताओं ने राजनीति दल को चयन किया है।

तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने राजनीतिक दल का चयन पारिवारिक वातावरण एवं समाजिक दबाव में किया है। उनका यह मत था कि उनके परिवार के सदस्य जिस राजनीतिक दल से सम्बन्धित रहे हैं उसी राजनीतिक दल का समर्थन उन्होंने किया है। स्वयं के विचारों के परिणामस्वरूप राजनीतिक दल का चयन करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या कम ही है। गहन विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ कि ये सभी उत्तरदाता तुलनात्मक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त हैं जिसके परिणामस्वरूप वे स्वतन्त्र रूप से राजनीति दल का चयन करने में सफल रहे।

### निष्कर्ष एवं सुझाव

स्वतन्त्र भारत के छठे दशक में स्थापित पंचायती राज संस्थाओं में परम्परागत और नई पीढ़ी के लोगों का सामंजस्य देखने में आया था। वर्तमान में स्थितियाँ बहुत कुछ बदली हुई दृष्टिगत होती हैं। विवेचित अध्ययन के अन्तर्गत यही देखने में आया कि नवयुवकों और बुजुर्ग पीढ़ी की तुलना में प्रौढ़ आयु वर्ग (31 से 50 वर्ष) के लोगों की आवक इन संस्थाओं में अधिक है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रौढ़ आयु के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से ग्राम पंचायतों के कार्यकरण में गम्भीरता देखी जा सकती है परन्तु शिक्षित युवा वर्ग की कार्यक्षमता व उत्साह का अभाव भी खलता है। अतः युवावर्ग को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रामीण सरकार स्तर पर जनप्रतिनिधियों के शिक्षा की स्थिति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश जनप्रतिनिधि मात्र साक्षर हैं। शिक्षा का अभाव या कम शिक्षित होना वही प्रशिक्षण की व्यवस्था का अभाव भी इन वर्गों के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को कमजोर बनाता है। पंचायत राज कानून, नियम, उपनियम, अधिकार, कर्तव्य आदि की समीक्षा जनप्रतिनिधियों के शक्ति संवर्धन, अधिकारों के प्रति चेतना तथा विकास कार्यों के लिए उत्तरदायित्व की दृष्टि से शिक्षा अनिवार्य आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए राज्य सरकार ने अध्यादेश के द्वारा राजस्थान पंचायत राज चुनाव 2015 से जनप्रतिनिधियों की योग्यता में शैक्षणिक अनिवार्यता को महत्व देते हुए पंचायत समिति सदस्यों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षित होना अनिवार्य योग्यता कर दी गई है<sup>20, 21</sup>

पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आय के स्रोत सम्बन्धी जानकारी से ज्ञात हुआ कि जिले के अधिकांश जनप्रतिनिधि कृषि कार्य से जुड़े हैं, मजदूरी व निजी सेवा करने वालों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से कम है। अतः जनप्रतिनिधि अधिकांशतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के हैं लेकिन इसी के साथ इस तथ्य को रेखांकित किया जा सकता है कि मजदूरी करने वाला भी आरक्षण की वजह से वार्डपंच, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच बनने लगा है। अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति

प्रतिनिधियों के राजनीति में प्रवेश के प्रेरक तत्व से सम्बन्धित जानकारी से ज्ञात हुआ कि दोनों वर्गों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने आरक्षण व्यवस्था से प्रेरित होकर राजनीति में प्रवेश किया। जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों से सम्बन्धित है या नहीं इसकी जानकारी से स्पष्ट हुआ कि जिले के अनु. जाति के 88 प्रतिशत एवं अनु. जनजाति के 64 प्रतिशत जनप्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखते हैं।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ग्राम पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर ही हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से जानकारी में आया कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप इन संस्थाओं को प्रदूषित करता है। जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत तक राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप टिकट वितरण से लेकर सरपंच, प्रधान, उपप्रधान, जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख की ताजपोशी आदि सभी में होता है। क्षेत्र में निर्वाचन उपरान्त विकास के कार्यों में बजट आवन्टन, कार्य स्वीकृति आदि कार्यों में दलगत राजनीति कर विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। किसी भी सार्वजनिक कार्य को निष्पादित करने के लिए सभी वर्गों का सहयोगात्मक सामूहिक प्रयास अपेक्षित होता है, चूँकि आरक्षित वर्ग समाज में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसी स्थिति को जानने के लिए उत्तरदाताओं से उनके कार्यों के प्रति अन्य सामाजिक वर्गों का दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया गया। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अनु. जाति के प्रतिनिधियों के प्रति अन्य सामाजिक वर्गों का दृष्टिकोण कम सहयोगात्मक होता है। निष्कर्षतः परम्परावादी विचारधारा व परम्परागत सामाजिक व्यवस्था के चलते समाज के अन्य वर्गों द्वारा इन आरक्षित वर्गों के कार्यों एवं विचारों को महत्व नहीं दिया जाता और इनको अन्य सामाजिक वर्गों का पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता।

यहां यह सुझाव वांछनीय है कि अन्य सामाजिक वर्गों को अपनी परम्परागत सोच और संकुचित मानसिकता को त्यागकर ग्रामीण विकास में सक्रिय सहयोग करते हुए इन जनप्रतिनिधियों के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया आवश्यक है। परिवार को पुरुष प्रधान की मानसिकता को त्यागकर महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में और ग्रामीण विकास में अपनी स्वतन्त्र भागीदारी निभाने में अहस्तक्षेपवादी रुख अपनाते हुए स्वतन्त्र भूमिका निर्वहन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

### आभार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का आभार प्रदर्शित करती हूँ जिसने मुझे शिक्षक अध्येतावृत्ति स्वीकृत कर शोध कार्य हेतु वित्तीय सहयोग दिया।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, अशोक, (2005) भारत में स्थानीय प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 93.
2. भारतीय संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992, (1993) भारत का राजपत्र, विधि मन्त्रालय, न्याय व कम्पनी अफेयर्स, नई दिल्ली।

3. भारतीय संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992, (1993) भारत का राजपत्र विधि मंत्रालय, न्याय एवं कम्पनी अफेयर्स, नई दिल्ली
4. उपर्युक्त अनु. 243 (ए)
5. उपर्युक्त अनु. 243 (बी) 1.2
6. उपर्युक्त अनु. 243 (सी) 2
7. उपर्युक्त अनु. 243 (सी) 5
8. उपर्युक्त अनु. 243 (डी) 1
9. उपर्युक्त अनु. 243 (डी) 2
10. उपर्युक्त अनु. 243 (डी) 3
11. उपर्युक्त अनु. 243 (डी) 4
12. गाँवों की सरकार में आधी महिलाएँ, राजस्थान पत्रिका, 22-07-2011, पृ. 1-2
13. [www.en.wikipedia.org/wiki/Alwar](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Alwar)
14. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, (2007) जिला अलवर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर, पृ. 7-8
15. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, (2007) जिला अलवर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर पृ. 01
16. [www.igu.in/9-3/3\\_usde.pdf](http://www.igu.in/9-3/3_usde.pdf)
17. [www.en.wikipedia.org/wiki/Alwar](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Alwar)
18. सांख्यिकी सारांश, राजस्थान, (2010), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर, पृ. 32
19. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, (2007) जिला अलवर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर, पृ. 1, 105
20. सरपंच-प्रमुख सब होंगे पढ़े लिखे-राजस्थान पत्रिका, 21-12-2014 पृ. 03
21. Rajasthan Governor Fixes Minimum Qualification for Panchayat Polls, The Indian Express, 22-12-2014